www.bankofbaroda.com

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

कार्पोरेट कार्यालय:
बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, मुंबई, सी–26, ''जी'' ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) और रिमोट ई–वोटिंग के लिए नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के विनियमन 56 (आई) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में ईजीएम की नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय के संचालन यथा – सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के अनुसरण में बैंक ऑफ़ बड़ौदा शेयर क्रय योजना (''बॉब–ईएसपीएस'') के अंतर्गत एक या इससे अधिक श्रृंखला में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को रू. 10,00,00,000 (दस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर जारी करने को अनुमोदन देने हेतु बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक **सोमवार, 21 जनवरी, 2019 को दोपहर 12 बजे बैंक ऑफ़ बड़ौदा, ''बड़ौदा भवन'', सर सयाजी हॉल, भूतल, प्रधान कार्यालय, आर सी दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा–390007** गुजरात में आयोजित की जा रही है.

शेयरधारकों को इस क्रम में सूचित किया जाता है कि:–

1. पात्र शेयरधारकों को ईजीएम नोटिस रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दिया गया है. इसकी प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.com एवं ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट अर्थात https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है.
2. लागू नियमों/विनियमनों के अनुसरण बैंक शेयरधारकों को नोटिस में उल्लेखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए बैंक ने कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का चयन ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में किया है.
3. रिमोट ई–वोटिंग अवधि गुरूवार 17 जनवरी, 2019 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी एवं रविवार 20 जनवरी, 2019 को शाम 5.00 बजे तक सभी दिन जारी रहेगी. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी. निर्दिष्ट तारीख 14 जनवरी, 2019 होगी एवं बैंक के शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तारीख को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयर हैं, केवल वे ही इस रिमोट ई–वोटिंग (यूआरएल https://evoting.karvy.com पर लॉग इन द्वारा)/बैठक में वोटिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
4. बैंक द्वारा आयोजित बैठक की कार्यसूची मदों में भी इस वोटिंग को शामिल किया जायेगा. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है, ईजीएम के दौरान वोटिंग में भाग ले सकते हैं. जिन शेयरधारकों ने ई–वोटिंग के माध्यम से वोट दे दिया है वे बैठक में भाग ले सकते हैं पर दोबारा वोट देने के लिए पात्र नहीं होंगे.
5. यदि कोई व्यक्ति ईजीएम नोटिस प्रेषण की आंतरिक अंतिम तारीख के बाद परंतु चुनाव/ई वोटिंग की उल्लेखित/निर्दिष्ट तारीख अर्थात 14 जनवरी, 2019 को या उससे पहले बैंक का शेयरधारक बना है तो वह ई–मेल आईडी evotingkarvy.com पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कार्वी को अनुरोध भेज सकता है. जिन नए शेयरधारकों की ई–मेल आईडी उनके डीमैट खाते में उपलब्ध होगी, कार्वी उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्रेषित करने का प्रयास करेगा.
6. रिमोट ई–वोटिंग एवं बैठक की वोटिंग के परिणाम दो दिनों के भीतर बैंक और कार्वी की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी.
7. रिमोट ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने के मामले में, शेयरधारक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा https://evoting.karvy.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध ई–वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं या श्री एस वी राजू, उमप्र, कार्वी फिनटेक प्रा. लि., (यूनिट– बैंक ऑफ़ बड़ौदा), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, गचिबावली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500032 या raju.svkarvy.com या फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं.

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा

स्थान: मुंबई
दिनांक: 27 दिसंबर, 2018

पी.एस. जयकुमार
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

67/18-19